अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या–..... 34.....सन् 2018–19

केश का प्रकार .....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार–जगन्नाथ झा प्रतिपक्षीः– देवनाथ झा

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर अर्जीकारः– जग्रनाथ झा पिता स्व0 जिबछ झा, ग्राम–मजरही अंचल–राजनगर, मधुबनी प्रतिपक्षीः– देवनाथ झा पे0 स्व0 जीबछ झा, साकिन–मजरही अंचल–राजनगर, मधुबनी।	आदेश पर की गई कार्रवाई
29.09.18	प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक–521 दिनांक–11.05.2018 से प्राप्त आवेदक के आवेदन पर प्रेषित जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख संख्या–2/18–19 में की गई अनुशंसा के आधार पर प्रारम्भ किया गया। दोनों पक्षकारों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु सूचना दी गई। **आवेदक द्वारा प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–** 1– प्रश्नगत भूमि मौजा–विद्यानगर थाना एवं अंचल–राजनगर जिला मधुबनी का पुराना खाता नं. 45 पु0 खेसरा नं. 247 का कुल रकवा 1–15–17 में से **0–5–18 (पॉच कट्ठा अठारह धूर)** जमीन प्रश्नगत भूमि है। 2– उक्त खेसरा नं. 247 में से 5 कट्ठा 18 धूर प्रश्नगत भूमि पूर्व में राम बालक महतो का था जिसपर वे पूर्ण स्वामित्व के साथ दखलकार रहते आये जिन्होंने 18.1.1954को निबंधित केवाला के माध्यम से छठी लाल प्रसाद के हाथों बिकी कर पूर्ण स्वामित्व के साथ दखल हस्तान्तरित कर दिया जिसे छठी लाल प्रसाद ने निबंधित केवाला के माध्यम से 15.02.1956 द्वारा आवेदक जग्रनाथ झा के हाथों निबंधित केवाला के माध्यम से बिकी कर दखल दे दिया जिस पर जग्रनाथ झा पूर्ण स्वामित्व के साथ दखलकार रहते आये जिसका दाखिल खारिज होकर जमाबंदी नं. 182 कायम हुआ जिसका मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आये। 3– प्रतिपक्षी देवनाथ झा आवेदक के सहोदर भाई हैं जिन्होंने वर्ष 2011 में प्रश्नगत जमीन का लगान निर्धारण करवा लिया जिसके विरूद्ध समाहर्ता महोदय, मधुबनी के न्यायालय में लगान निर्धारण अपील वाद संख्या–4/2011–12 दायर है जो विचाराधीन लंबित है। 4– जब प्रश्नगत जमीन का जमाबंदी पूर्व से ही कायम चली रही थी तो प्रश्नगत जमीन का लगान निर्धारण नहीं हो सकता है। जबकि लगान निर्धारण वाद में न तो अंचल स्तर से और न ही भूमि सुधार उप समाहर्ता के स्तर से आवेदक को कोई सूचना दी गई। 5– अंचल अधिकारी, राजनगर ने प्रश्नगत भूमि का जायज जमाबंदी आवेदक के नाम से रहना पाया एवं उसी भूमि का विपक्षी के नाम जमाबंदी नं. 325 गलत पाया तथा एक ही भूमि का दो जमाबंदी नहीं चलने के कारण विपक्षी के नाम कायम जमाबंदी संख्या–325 को निरस्त करने के लिए इस न्यायालय में अग्रसारित किया है। 6– आवेदक ने प्रश्नगत जमीन केवाला दिनांक–28.02.2018 द्वारा मुस्ताक अहमद को बिकी कर दखल दे दिया वो मुस्ताक अहमद दाखिल खारीज कराकर जमाबंदी नं. 363 के अंतर्गत मालगुजारी अदाय करते आ रहे हैं। अतः विपक्षी के नाम कायम जमाबंदी संख्या–325 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। **विपक्षी द्वारा प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–** 1– आवेदक एवं विपक्षीगण एक ही पिता के 6 पुत्र हैं। आवेदक के पिता स्व0 जीबछ झा ने जग्रनाथ झा के नाम से नावालीग अवस्था में लगभंग 14 वर्ष की अवस्थित में अपनी पहली कमाई से अपने पुत्र के नाम से केवाला लिया। पिता ने अपने जीवन काल में ही छः पुत्रों के बीच बटवारा कर दिया। बटवारा के अनुसार सभी भाई 5 कट्ठा 18 धूर वाली जमीन पर दखलकार हुये प्रतिपक्षी देवनाथ झा ने भी अपने नाम से दाखिल खारिज	

करवाये जिसका जमाबंदी संख्या–325 कायम हुआ जो चल रहा है।

2– आवेदक ने गलत ढ़ंग से दाखिल खारिज करवाकर जमाबंदी नं. 182 कायम करवा लिया। उक्त खेसरे जात वाली जमीन 6 भाईयों के बीच अलग अलग है जिसका खाता 45 खेसरा–247 रकवा 5 कट्ठा 18 धुर है जो एक मुश्त आवेदक ने एक रजिस्ट्री के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के हाथों बेच दिया।

3– आवेदक जग्रनाथ झा ने उसी दाखिल खारिज आदेश के खिलाफ समाहर्ता के न्यायालय में वाद संख्या–4/11–12 दाखिल किया जो सुनवाई पर लंबित है। उपरोक्त खेसरे जात वाली जमीन को लेकर दोनों पक्षों में दफा 144 दं.प्र.सं.के अंतर्गत अनुमण्ड दण्डाधिकारी, मधुबनी के न्यायालय में लंबित है।

4– उपरोक्त बातों की जॉच अंचल अधिकरी, राजनगर से करवाई जाय ताकि असलीयत का पता चल सके।

अंचल अधिकारी, राजनगर से अग्रसारित अभिलेख संख्या–2/18–19 में उद्धृत तथ्यः–

सी0एस0खतियान का विवरणः–

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	किस्म	नवैयत
विद्यानगर	45	247	1–15–17	धनहर	नाथे महतो वो गोखुल पेसरान बुधीराम 2 हिस्सा वगैरह।

उपरोक्त भूमि में से दिनांक–12–2–56 को श्री जग्रनाथ झा पे. स्व. जीबछ झा ने छठी लाल प्रसाद से खेसरा–247 रकवा 0–5–18 धूर केवाला द्वारा क्रय किया **जिसकी जमाबंदी संख्या–29 जमींदारी उन्मूलन से ही चल रही है।** श्री झा का केवाला का दाखिल खारिज वाद संख्या–1157/05–06 द्वारा हुआ जिसका जमाबंदी संख्या–182 अद्यतन चला आ रहा है तथा दखल कब्जा में है।

श्री देवनाथ झा द्वारा वर्ष 2009–10 में रिविजनल सर्वे खतियान के आधार पर लगान निर्धारण वाद संख्या–24/09–10 अपने एवं अन्य पांच भाईयों के नाम से करवा लिया जबकि उपरोक्त भूमि की जमाबंदी जमींदारी के समय से ही चलती आ रही है। रिविजनल सर्वे खतियान में भी लगान कायम होना दर्शाया गया है। बी0टी0एक्टवाद संख्या–85/2008 में धारा–106 के तहत सर्वे न्यायालय द्वारा जग्रनाथ झा पे0 स्व0 जिबछ झा के नाम से फैसला दिया गया। Cr.Revision no. 630/2009/90/2009 में एडिशनल डिस्ट्रीक्ट शेषन जज द्वारा श्री जग्रनाथ झा के पक्ष में फैसला दिया गया। श्री जगनाथ झा का जमाबंदी संख्या–1182 लगान निर्धारण के पूर्व से चल रही थी तथा उनके भाई द्वारा वर्ष 2009–10 में धोखे से अपने एवं अन्य भाईयों के नाम लगान निर्धारण करवाकर जमाबंदी संख्या–325 कायम करवा लिया जिससे एक ही भूमि का दो जमाबंदी पंजी– II में चल रहा है।

अंचल अधिकारी ने अपने आदेशफलक में लिखा है कि उनके द्वारा जॉचोपरांत पाया गया कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन सत्य है जिससे वे सहमत होते हुये जमाबंदी संख्या–325 को रद्द करने की अनुशंसा के साथ इस न्यायालय में अग्रसारित कर दिया।

निष्कर्षः–

अंचल अधिकारी ने बाद में कायम जमाबंदी संख्या–325 बनाम विपक्षी को रद्द करने की अनुशंसा की है। आवेदक ने अपने आवेदन में लिखा है कि प्रतिपक्षी देवनाथ झा आवेदक के सहोदर भाई हैं जिन्होंने वर्ष 2011 में प्रश्नगत जमीन का लगान निर्धारण करवा लिया जिसके विरूद्ध समाहर्ता महोदय, मधुबनी के न्यायालय में लगान निर्धारण अपील वाद संख्या–4/2011–12 दायर है जो विचाराधीन लंबित है।

जब आवेदक ने ही समाहर्ता महोदय के न्यायालय में वाद दायर किया है जो विचाराधीन है ऐसी स्थिति में आवेदक को उक्त वाद के निष्पादन की प्रतीक्षा करनी होगी। समाहर्ता महोदय के न्यायलाय में चल रहे उक्त वाद के निष्पादन के उपरान्त ही जमाबंदी रद्दीकरण के बिन्दु पर विचारणीय होगा। अंचल अधिकारी को भी चाहिए था कि समाहर्ता के माननीय न्यायालय में चल रहे वाद के निस्तार के उपरान्त ही इस वाद को अग्रसारित

करते किन्तु ऐसा नहीं कर जमाबंदी रद्दीकरण आवेदन को इस न्यायालय में अग्रसारित कर दिया। इसलिए उक्त वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, राजनगर को भेजें जो अपने स्तर से पक्षकारों को आदेश से अवगत करायेंगे।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

29.9.18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

29.9.18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

[illegible] 29.9.18 [illegible]

29.9.18